

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री गुलाबचन्द व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि डांगरा, सायला-जालोर जिनकी जन्म तिथि:- 01.01.1966 ने दिनांक 10.08.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.11.2021 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री गुलाबचन्द व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि डांगरा, सायला-जालोर को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्राधानान्तर्गत दिनांक 01.11.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020

दिनांक- 11-10-21

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेत
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 1444/05-06 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।
6. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. प्रधानाचार्य, राउमावि डांगरा, सायला-जालोर
8. श्री गुलाबचन्द व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि डांगरा, सायला-जालोर
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली

(संयुक्त निदेशक)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक-

कार्यालय आदेश

ज्ञानेश यादव प्राध्यापक (हिन्दी), राउमावि कनवाडा, कामां-भरतपुर जिनकी जन्पतिथि - 29.08.1986 है, का निधन दिनांक- 29.07.2021 को हो चुका है। अतः ज्ञानेश यादव प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक- 29.07.2021 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित ज्ञानेश यादव, प्राध्यापक (हिन्दी) के विरुद्ध मृत्यु दिनांक तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2021/40

दिनांक- 11-10-21

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

- 1 निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
- 4 अनुभाग अधिकारी, हितकारी-निधि कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 5 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 6 संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी...
- 7 प्रधानाचार्य, राउमावि कनवाडा, कामां-भरतपुर
- 8 अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/संस्थापन ए.बी/हितकारी निधि अनुभाग को कार्मिक के आरपीएससी 2015 मेरीट न. 907 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।
- 9 आश्रित स्व. ज्ञानेश यादव प्राध्यापक (हिन्दी), राउमावि कनवाडा, कामां-भरतपुर
- 10 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक-

कार्यालय आदेश

गोविन्द प्रसाद अग्रवाल प्राध्यापक (हिन्दी), राउमावि बडी उदेई, गंगापुर सिटी, स0माधोपुर जिनकी जन्मतिथि - 21.02.1970 है, का निधन दिनांक- 07.09.2021 को हो चुका है। अतः गोविन्द प्रसाद अग्रवाल प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक- 07.09.2021 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित गोविन्द प्रसाद अग्रवाल, प्राध्यापक (हिन्दी) के विरुद्ध मृत्यु दिनांक तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-11-10-21

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2021/41

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिल्ला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, हितकारी निधि कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी....
7. प्रधानाचार्य, राउमावि बडी उदेई, गंगापुर सिटी, स0माधोपुर
8. अनुभाग अधिकारी,एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 2071/11-12 के विलोपन की कार्यवाही के संबध में।
9. आश्रित स्व. गोविन्द प्रसाद अग्रवाल प्राध्यापक (हिन्दी), राउमावि बडी उदेई, गंगापुर सिटी, स0माधोपुर
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत आभा शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि कायड, श्रीनगर - अजमेर जिनकी जन्म तिथि:- 23.08.1963 ने दिनांक 02.08.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 31.10.2021 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः आभा शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि कायड, श्रीनगर- अजमेर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 31.10.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।


(सौरभ स्वामी)


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020

दिनांक- 11-10-2021

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रपिंत -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को बैकसाइट पर अपलोड हेतु
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 2590/06-07 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।
6. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. प्रधानाचार्य, राउमावि कायड, श्रीनगर अजमेर
8. आभा शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि कायड, श्रीनगर अजमेर
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री सवाई दान व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि आलनियावास, रियाबडी - नागौर जिनकी जन्म तिथि:- 10.11.1963 ने दिनांक 24.07.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 31.12.2021 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री सवाई दान व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि आलनियावास, रियाबडी - नागौर को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 31.12.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रहित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 8984/07-08 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में सत्यमेव जयते
6. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. प्रधानाचार्य, आलनियावास, रियाबडी - नागौर
8. श्री सवाई दान व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि आलनियावास, रियाबडी - नागौर
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली

दिनांक- 11-10-2021

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर